

खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र
(राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 130)

2022/221

सेवाएं

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयवर्ती निवेदन है कि ग्राम बलरवाड़ा की जमाबन्दी सम्बन्धी वर्ष 2016 से 2022 के खाता संख्या 559 में पकाड़ा नाम का नाम पकाड़ा की जगह पकाड़ा नाम पकाड़ा के स्थान पर दर्ज है।

अतः सत दुरुस्ती किये जाने के आदेश फेरमाने की कृपा करें।

दिनांक- 23/11/21

प्राथी
पकाड़ा

रिपोर्ट-पटवारी एवं भूअनि.

महोदयजी,

निवेदन है कि ग्राम बलरवाड़ा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्बन्धी वर्ष 2016 से 2022 के खाता संख्या 559 में प्राथी का नाम पकाड़ा दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न पकाड़ा जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम पकाड़ा है। जो संशोधित किया जाना उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

भूअनि. पकाड़ा

पटवारी पकाड़ा

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्राथी द्वारा राठमूरजो अधिनियम 1956 की धारा 130 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्राथी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रिपोर्ट पटवारी पकाड़ा व भूअनि. पकाड़ा एवं प्राथी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर ग्राम बलरवाड़ा की जमाबन्दी सम्बन्धी वर्ष 2016 से 2022 की खाता संख्या 559 में प्राथी का नाम पकाड़ा के बजाय पकाड़ा किये जाने हेतु अभिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
पकाड़ा
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

2022/159/22
10/06/22

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम बलरवाड़ा जमाबन्दी सम्बन्धी वर्ष 2016-17 खाता संख्या 559 में दर्ज प्राथी का नाम पकाड़ा के स्थान पर पकाड़ा संशोधन के आदेश दिये जाते हैं।

उपखण्ड अधिकारी
प्रभासी मुखिया
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

di